

बिहार सरकार  
कृषि विभाग।

पत्र सं०-NMOOP-09/2017

4343

/क० पटना, दिनांक 8/11/2017

प्रेषक,

सुधीर कुमार,  
प्रधान सचिव,  
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,  
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

(+) अनौपचारिक रूप  
से परामर्शित।

द्वारा : वित्त विभाग, बिहार, पटना। (+)

विषय:

मेसर्स सुभाष ट्रेडर्स, पुपरी, सीतामढ़ी को भुगतान हेतु 12.7625 लाख (बारह लाख छिहत्तर हजार दो सौ पचास) रुपये एवं मेसर्स बिहार ट्रेडर्स, बाजपट्टी, सीतामढ़ी को भुगतान हेतु 2.25 लाख (दो लाख पचीस हजार) रुपये कुल 15.0125 लाख (पन्द्रह लाख एक हजार दो सौ पचास) रुपये की भुगतान हेतु राशि की स्वीकृति।

आदेश :- स्वीकृत।

मेसर्स सुभाष ट्रेडर्स, पुपरी, सीतामढ़ी को भुगतान हेतु 12.7625 लाख (बारह लाख छिहत्तर हजार दो सौ पचास) रुपये एवं मेसर्स बिहार ट्रेडर्स, बाजपट्टी, सीतामढ़ी को भुगतान हेतु 2.25 लाख (दो लाख पचीस हजार) रुपये कुल 15.0125 लाख (पन्द्रह लाख एक हजार दो सौ पचास) रुपये की बकाया भुगतान हेतु राशि की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. वित्तीय वर्ष 2017-18 में बजट शीर्ष एवं उपबंधित एवं स्वीकृत राशि से संबंधित विवरणी निम्न प्रकार है:- (राशि लाख रुपये में)

बजट शीर्ष	उपबंधित राशि	मेसर्स सुभाष ट्रेडर्स, पुपरी, सीतामढ़ी के लिए स्वीकृत राशि	मेसर्स बिहार ट्रेडर्स, बाजपट्टी, सीतामढ़ी के लिए स्वीकृत राशि
मुख्य शीर्ष-2401-फसल कृषि-कर्म, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-103-बीज, मांग सं०-01, उपशीर्ष- 0109-बीज गुणन फर्मों का विस्तार खेती पर व्यय विपत्र कोड-01-2401001030109, विषय शीर्ष-0109.33.01 सब्सिडी	8239.26	10.59287	1.8675
मुख्य शीर्ष-2401-फसल कृषि-कर्म, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, मांग सं०- 01, उपशीर्ष- 0117 बीज उत्पादन कार्यक्रम, विपत्र कोड-01-2401007890117, विषय शीर्ष-0117.33.01 सब्सिडी	1588.77	2.16963	0.3825
योग	9828.03	12.76250	2.2500

3. सुभाष ट्रेडर्स, पुपरी सीतामढ़ी के लिए स्वीकृत राशि 12.7625 लाख (बारह लाख छिहत्तर हजार दो सौ पचास) रुपये एवं मेसर्स बिहार ट्रेडर्स, बाजपट्टी, सीतामढ़ी के लिए स्वीकृत राशि 2.25 लाख (दो लाख पचीस हजार) रुपये की निकासी जिला कृषि पदाधिकारी, सीतामढ़ी द्वारा सीतामढ़ी कोषागार से की जायेगी।


4. स्वीकृत राशि अन्य किसी मद में व्यय नहीं किया जायेगा। राशि के व्यय के पश्चात् जिला कृषि पदाधिकारी, सीतामढ़ी द्वारा एक पक्ष के अंदर निश्चित रूप से उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।

5. वित्त विभाग के संकल्प संख्या 3758 दिनांक 31.05.2017 में निहित प्रावधान के आलोक में उक्त राशि के व्यय के प्रस्ताव में विभागीय प्रधान सचिव की स्वीकृति संचिका संख्या NMOOP-09/2017 के पृ- 13/टि0 पर दिनांक 03.11.2017 को प्राप्त है।

6. वित्त विभाग के पत्रांक 7355, दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

7. स्वीकृत्यादेश में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या NMOOP-09/2017 के पृ-15/टि0 पर दिनांक 06.11.2017 को प्राप्त है। आंतरिक वित्तीय सलाहकार कोषांग का डायरी संख्या 204 दिनांक 06.11.2017 है।

विश्वासभाजन,



(सुधीर कुमार)

प्रधान सचिव,


कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:- NMOOP-09/2017

4343

/क० पटना, दिनांक 8/11/2017

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, सीतामढ़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



प्रधान सचिव,


कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:- NMOOP-09/2017

4343

/क० पटना, दिनांक 8/11/2017

प्रतिलिपि:- वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



प्रधान सचिव,


कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:- NMOOP-09/2017

4343

/क० पटना, दिनांक 8/11/2017

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, कृषि के आप्त सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त के आप्त सचिव, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, कृषि के आप्त सचिव/कृषि निदेशक, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, एन0एम0ओ0पी0/जिला कृषि पदाधिकारी, सीतामढ़ी/बजट एवं योजना शाखा, सचिवालय कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित तथा उप कृषि निदेशक (सूचना), बिहार, पटना को विभाग के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।



प्रधान सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।